भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2723
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

पीएम-पोषण योजना

2723. **श्री संजय उत्तमराव देशमुखः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और इस योजना के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ख) क्या 'बाल वाटिकाओं' में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पीएम पोषण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो इस योजना के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन में कृषक उत्पाद संगठनों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत रसोइयों और सहायकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है; और
(ङ) उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए राज्यवार कितनी सामाजिक संपरीक्षाएं की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-**1** से पूर्व) और कक्षा **1** से **8** तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 10.36 लाख संस्थानों में पढ़ने वाले लगभग 11.20 करोड़ बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बालवाटिका सहित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है।

(ग): पीएम पोषण योजना को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की साझेदारी से कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्चों को पौष्टिक और पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों का है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्धारित पोषण और खाद्य प्रतिमानों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल मेन्यू तय करने और कृषक उत्पादक संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ आदि से स्थानीय रूप से उगाए गए श्रीअन्न, सब्जियां, मसालों आदि जैसे खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही पोषण मानकों में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पीएम पोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार, पका हुआ भोजन पकाने/आपूर्ति का उत्तरदायित्व, जहाँ तक संभव हो, रसोइया-सह-सहायकों और स्थानीय महिलाओं/माताओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में से किसी एक को सौंपा जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि जहाँ भी संभव हो वे कृषक उत्पादक संगठनों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

(घ): सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रसोइया-सह-सहायकों को उनके संबंधित बैंक खातों में मानदेय जमा करवा रहे हैं।

(ङ): सामाजिक संपरीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा किसी योजना की सामूहिक निगरानी है, जिसमें समता, समानता और व्यय प्रबंधन के मुद्दे शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा के संचालन हेतु व्यापक और विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2022-23 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामाजिक संपरीक्षा सभी जिलों के कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में, जो भी अधिक हो, अनिवार्य कर दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामाजिक संपरीक्षा की संख्या **अनुलग्नक-II** में है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा 'पीएम-पोषण योजना' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2024-25 में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत नामांकित बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित लाभार्थियों की संख्या			
		बाल वाटिका	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5172	13294	10859	29325
2	आंध्र प्रदेश	0	1516768	1069092	2585860
3	अरुणाचल प्रदेश	11619	85944	53606	151169
4	असम	225068	2424739	1269560	3919367
5	बिहार	0	11426436	5911869	17338305
6	चंडीगढ़	14918	44270	40684	99872
7	छत्तीसगढ	0	1780359	1121747	2902106
8	दिल्ली	118430	880193	762292	1760915
9	दादरा और नगर हवेली एवम् दमन और दीव	7221	40287	27055	74563
10	गोवा	2881	92445	67715	163041
11	गुजरात	529306	2746239	1880218	5155763
12	हरियाणा	63945	847705	639141	1550791
13	हिमाचल प्रदेश	71713	247577	194194	513484
14	जम्मू एवं कश्मीर	182596	490147	279365	952108
15	झारखंड	42164	2644749	1417982	4104895
16	कर्नाटक	0	2534097	1566937	4101034
17	केरल	137872	1575615	1130920	2844407
18	लद्दाख	4391	9334	4414	18139
19	लक्षद्वीप	1265	5093	2567	8925
20	मध्य प्रदेश	0	3913068	2422860	6335928
21	महाराष्ट्र	0	5974978	3917899	9892877
22	मणिपुर	25822	125456	37762	189040
23	मेघालय	137524	385431	181868	704823
24	मिजोरम	25071	75137	38631	138839
25	नगालैंड	41394	56964	30613	128971
26	ओडिशा	0	2512932	1742408	4255340
27	पुदुचेरी	7204	27122	20182	54508
28	पंजाब	174552	1072279	660578	1907409
29	राजस्थान	46009	3361174	2294665	5701848
30	सिक्किम	6200	21102	17440	44742
31	तमिलनाडु	_	2248314	1864599	4112913
32	तेलंगाना	0	1013708	643659	1657367
33	त्रिपुरा	11583	215878	141781	369242
34	उत्तर प्रदेश	0	10577090	5781838	16358928
35	उत्तराखंड	0	361891	256529	618420
36	पश्चिम बंगाल	958563	6310427	4071506	11340496
	कुल	**2852483**	**67658242**	**41575035**	**112085760**

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा 'पीएम-पोषण योजना' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापना के बाद से की गई सामाजिक संपरीक्षा की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1511
2	अरुणाचल प्रदेश	120
3	असम	3326
4	बिहार	1317
5	छत्तीसगढ	36270
6	गुजरात	5601
7	गोवा	131
8	हरियाणा	88
9	हिमाचल प्रदेश	1035
10	झारखंड	15731
11	कर्नाटक	2788
12	केरल	1008
13	मध्य प्रदेश	5300
14	महाराष्ट्र	8703
15	मणिपुर	120
16	मेघालय	2214
17	मिजोरम	610
18	नगालैंड	122
19	ओडिशा	1680
20	पंजाब	978
21	राजस्थान	429
22	सिक्किम	200
23	तमिलनाडु	953
24	तेलंगाना	1410
25	त्रिपुरा	824
26	उत्तर प्रदेश	3355
27	उत्तराखंड	1003
28	पश्चिम बंगाल	11253
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
30	चंडीगढ़	112
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	611
32	दिल्ली	170
33	जम्मू और कश्मीर	36954
34	लद्दाख	310
35	लक्षद्वीप	14
36	पुदुचेरी	228